न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 102/2011
प्रविष्टि दिनांक 18.03.2011

हेमराज पिता हीरा जाट व अन्य .... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री रामअवतार शर्मा,अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित
(2) श्री रामधन सेनी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 6–10–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम सरोली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1106 में से 1700 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बारानी–ए का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। मौके पर कितनी भूमि अवाप्त की गई है एंव कितनी भूमि शेष रहीं है इसकी जॉच नहीं की गई है। उक्त भूमि क्रय करते समय पंजीयन के समय भी तत्कालीन डीएलसी दर को देखते हुए वाणिज्यिक भूमि की डीएलसी दर से गणना का मुद्राक व पंजीकरण शुल्क लिया गया था, उससे स्पष्ट है कि भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए थी ओर उसी की गणना कर मुआवजा दिया जाना चाहिये। अतः अवार्ड दिनांक 28.06.2010 को अपास्त कर पुर्नवलोकन किया जावे एंव वाणिज्यिक भूमि की दर मुआवजा ब्याज व आज्ञापक मुआवजे की राशि अवार्ड की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी [illegible] गई एवं अवार्ड पत्रावली 1778/2009 दिनांक 28–6–2010 तलब [illegible] प्रार्थी अनुपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब [illegible] प्रस्तुत कर अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या [illegible] प्रार्थी की भूमि [illegible]

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग
(जिला कलेक्टर) टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर

1106 में से 1700 वर्गमीटर वाके ग्राम सरोली मह0 देवली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के

अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी कों नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–ए राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1778 / 2009 दिनांक 28–6–2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1106 अवाप्त रकबा 1700 वर्गमीटर किस्म बारानी–1 का डी.एल.सी. दर से ग्राम सरोली का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का 329120 / रू0 निर्धारण कर नियमानुसार हितबद्व व्यक्ति के नाम जमा किया गया है। प्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है,परन्तु वाणिज्यिक भूमि के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 6–10–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested